REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229986 CG-DL-E-27092021-229986

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3652]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/ आश्विन 5, 1943

No. 3652]

गहायल्ला, तानपार, तितन्पर 27, 2021/ जारपण 3, 1943

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

का.आ. 3986(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग किए जाने की घोषणा करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

क्र.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
सं.	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
616	163जी	रामरावपेटा के पास रारा-63 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर तेलंगाना राज्य में मंथानी,
		मोगुल्लापल्ले, श्यामपेट, महबूबाबाद, वी.वेंकटयापलेम और आंध्र प्रदेश राज्य में टुनिकीपाडु,
		कोंडुरु, जक्कमपुडी को जोड़ने वाला और रारा-16 (विजयवाड़ा बाईपास) के साथ अपने जंक्शन

पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3622(अ), दिनांकित 6 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

S.O. 3986(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
616	163G	The highway starting from its junction with NH-63 near Ramraopeta connecting Manthani, Mogullapalle, Shayampet, Mahabubabad, V.Venkattayapalem in the State of Telangana, Tunikipadu, Konduru, Jakkampudi and terminating at its junction with NH-16 (Vijayawada Bypass) in the state of Andhra Pradesh.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3622 (E), dated 6th September, 2021.

[F. No. NH-14012/11/2018-P&M] RAJESH GUPTA, Director